उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- यू0ओ0-116/एक-1-2017-राजस्व-1

लखनऊ: दिनॉक: 30 जनवरी, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनूसची में उल्लिखित लोक प्रयोजन की भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना के अन्तर्गत बाबरपुर, बांयीपुर आरक्षित वन क्षेत्र, आगरा में बिछायी जा रही पाइप लाइन हेतु अस्थायी रूप से प्रयोग की गयी अतिरिक्त वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है:-

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	टूण्डला	टूण्डला	रूधऊ मुस्तकिल	1074ग	6.365	वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना के अन्तर्गत बाबरपुर, बांयीपुर आरक्षित वन क्षेत्र, आगरा में बिछायी जा रही पाइप लाइन हेतु अस्थायी रूप से प्रयोग की गयी अतिरिक्त वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वनीकरण हेतु
2		फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	कुर्रीकूपा	616	3.8588	
				योग	कुल 02 गाटा	10.2238 हे0	

2. यह भी आदेश दिये जाते हैं कि कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार-पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की

-2-

8.3.18

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

3. शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। श्रेणी परिवर्तन शुल्क कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत के बराबर भी देय होगा। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य, श्रेणी परिवर्तन शुल्क तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में नगर विकास विभाग द्वारा लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉं-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉं" के नाम जमा कराया जायेगा।

परियोजना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित श्रेणी-6 (4) बेहड़ की भूमि का श्रेणी परिवर्तन व पुनर्ग्रहण अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है। ग्राम रूधऊ मुस्तकिल परगना व तहसील टूण्डला जनपद फिरोजाबाद के गाटा संख्या 1074ग रकबा 6.365 हे0 व ग्राम कुर्रीकूपा परगना, तहसील व जनपद फिरोजाबाद के गाटा संख्या 616 रकबा 3.8588 कुल 02 गाटा रकबा 10.2238 हे0 भूमि का श्रेणी परिवर्तन व पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा यदि ग्रामवासियों को उक्त भूमि की आवश्यकता हो तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा शासनादेशों के आलोक में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 02 गाटा रकबा 10.2238 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

5. कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 तथा शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

/

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

-3-

8.3.18
(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

4. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को उनके पत्र संख्या-83/गंगाजल/परि0, दिनॉक 06-01-2018 के सन्दर्भ में।
4. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को उनके पत्र संख्या-1089/भूमि व्यवस्था-वन विभाग-2017, दिनॉक 05-01-2018 के सन्दर्भ में।
5. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, 96, महात्मा गॉधी मार्ग, इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित कर 15 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवीदास)

विशेष सचिव।

18.3.18

(आर0 के0 पंकज)

परियोजना प्रबन्धक

गंगा जल परियोजना इकाई,

उ0प्र0 जल निगम, आगरा